

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-10.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 148]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 मार्च 2010—फाल्गुन 18, शक 1931

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2010

क्र. 5039-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 (क्रमांक 1 सन् 2010) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक और उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किए जाते हैं.

डॉ. ए. के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०१०.

## मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०१०.

वित्तीय वर्ष २००९-२०१० की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१० है.

वित्तीय वर्ष २००९-२०१० के लिए राज्य की संचित निधि में से ६१,३७,९६,०६,३०० रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग छः हजार एक सौ सैंतीस करोड़ छियानबें लाख छः हजार तीन सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २००९-२०१० के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची  
( धारा २ और ३ देखिये )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व ७,०२,५६,०००	४५,५५,०००	७,४८,११,०००
		पूँजी २,००,००,०००	०	२,००,००,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व १३,२०,०००	०	१३,२०,०००
०३.	पुलिस	राजस्व ६३,३६,५३,०००	०	६३,३६,५३,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ६७,३८,०००	०	६७,३८,०००
		पूँजी १५,४०,०००	०	१५,४०,०००
०५.	जेल	राजस्व ११,६१,५४,०००	०	११,६१,५४,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०६. वित्त	राजस्व	२००	०
			२००
०७. वाणिज्यिक कर	राजस्व	१०,००,००,०००	०
			१०,००,००,०००
०८. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	१,३१,११,५७,६००	०
			१,३१,११,५७,६००
०९. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	१५,९५,०००	०
			१५,९५,०००
१०. वन	राजस्व	९६,८१,१४,१००	०
			९६,८१,१४,१००
११. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	४,८३,४३,०००	०
			४,८३,४३,०००
१२. ऊर्जा	राजस्व	१,१६,३९,०४,०००	०
	पूंजी	३८,५६,०९,२५,०००	०
			१,१६,३९,०४,०००
			३८,५६,०९,२५,०००
१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	२५,८२,४५,०००	०
	पूंजी	८७,१९,१४,१००	०
			२५,८२,४५,०००
			८७,१९,१४,१००
१४. पशुपालन	राजस्व	१८,६१,३१,०००	१,०५,०००
			१८,६२,३६,०००
१५. अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	२७,०८,०६,०००	०
			२७,०८,०६,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
१६.	मछली पालन	राजस्व	३,०३,५५,०००	०	३,०३,५५,०००
१७.	सहकारिता	राजस्व	२९,४३,१५,२००	०	२९,४३,१५,२००
१८.	श्रम	राजस्व	१५,२१,३२,०००	०	१५,२१,३२,०००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	६८,१०,३४,०००	०	६८,१०,३४,०००
		पूंजी	१२,५४,८४,०००	०	१२,५४,८४,०००
२१.	आवास एवं पर्यावरण	राजस्व	३,१९,३६,०००	०	३,१९,३६,०००
२२.	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	राजस्व	१,१७,१५,०००	०	१,१७,१५,०००
२३.	जल संसाधन	राजस्व	४४,७४,८७,०००	०	४४,७४,८७,०००
		पूंजी	२,०५,८५,१४,४००	०	२,०५,८५,१४,४००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	६,३२,१२,०००	०	६,३२,१२,०००
		पूंजी	१,२००	०	१,२००
२५.	खनिज साधन	राजस्व	२,२५,२२,०००	०	२,२५,२२,०००
२६.	संस्कृति	राजस्व	२,०५,५७,०००	०	२,०५,५७,०००
		पूंजी	१९,००,०००	०	१९,००,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	१,७८,९०,४७,०००	१,५०,०००	१,७८,९१,९७,०००
२८.	राज्य विधान मंडल	राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	२३,२१,८६,०००	१५,६१,३६,०००	३८,८३,२२,०००
३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व	६८,२०,००,०००	०	६८,२०,००,०००
		पूंजी	४,६८,००,०००	०	४,६८,००,०००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	७,४४,२०,०००	०	७,४४,२०,०००
३४.	समाज कल्याण	राजस्व	१२,००,०००	०	१२,००,०००
३५.	पुनर्वास	राजस्व	६,१४,०००	०	६,१४,०००
३६.	परिवहन	राजस्व	२,६८,१२,०००	०	२,६८,१२,०००
३७.	पर्यटन	राजस्व	३०,०००	०	३०,०००
		पूंजी	११,८४,३८,०००	०	११,८४,३८,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	१,२०,२६,०२,०००	०	१,२०,२६,०२,०००
		पूंजी	३५,७४,९१,८००	०	३५,७४,९१,८००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	४०,७२,८७,०००	०	४०,७२,८७,०००
		पूंजी	२६,८५,८९,०००	०	२६,८५,८९,०००
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	१२,८०,५९,३००	०	१२,८०,५९,३००
४३.	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	१,४६,८५,०००	०	१,४६,८५,०००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	२४,९९,०००	०	२४,९९,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
		पूंजी	१,०८,३४,५९,२००	०	१,०८,३४,५९,२००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	राजस्व	८,४१,०१,०००	०	८,४१,०१,०००
		पूंजी	४३,००,००,०००	०	४३,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूँजी	३८,४९,३९,०००	०	३८,४९,३९,०००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	१,१८,१४,०००	०	१,१८,१४,०००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	३३,३९,०१,०००	०	३३,३९,०१,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	१६,१३,७६,०००	०	१६,१३,७६,०००
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व	३,२६,३९,०००	०	३,२६,३९,०००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	४०,५३,००,०००	०	४०,५३,००,०००
६२.	पंचायत	राजस्व	९,२७,९७,०००	०	९,२७,९७,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	४५,५३,०००	०	४५,५३,०००
		पूँजी	११,८२,८१,१००	०	११,८२,८१,१००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	१,०५,५३,००,०००	०	१,०५,५३,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	१७,५३,७०,०००	०	१७,५३,७०,०००
		पूँजी	१००	०	१००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	१,३४,८०,०२,०००	०	१,३४,८०,०२,०००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	५०,९३,३८,०००	०	५०,९३,३८,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
७८.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण			
	राजस्व	६,५३,८९,०००	०	६,५३,८९,०००
८०.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	७२,७३,८०,०००	०	७२,७३,८०,०००
	पूंजी	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
	योग . .	{ राजस्व १६,५९,२३,२४,१००	१६,०९,४६,०००	१६,७५,३२,७०,१००
		{ पूंजी ४४,६२,६३,३६,२००	०	४४,६२,६३,३६,२००
	वृहद् योग . .	६१,२१,८६,६०,३००	१६,०९,४६,०००	६१,३७,९६,०६,३००

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २००९-२०१० के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किये गये अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :  
तारीख ६ मार्च, २०१०.

राघवजी  
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

डॉ. ए. के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.